

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,  
जमुई/लखीसराय/गोपालगंज।


राजगीर, दिनांक:- 20/10/2021

विषय:- 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों 1. सौरभ कुमार अकादमी क्रमांक-1540 (जमुई जिला), 2. परविन्द चन्द्र दिवाकर अकादमी क्रमांक-1541 (लखीसराय जिला), एवं 3. सोनु कुमार अकादमी क्रमांक-1542 (जमुई जिला) को डुमरांव परिसर में गार पीट करने के आरोप में तत्कालीन प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित किया गया तथा एवं 4. राजेश कुमार अकादमी क्रमांक-869 (गोपालगंज जिला) द्वारा उत्तर-पुरितका में 500 रूपया का नोट रखने के आरोप में निलंबित किया गया। इन चारों का प्रशिक्षण कार्य दिवस पूर्ण नहीं है। इस संबंध में बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर का ज्ञापांक-क्रमशः 4108/अकादमी, 4106/अकादमी, 4107/अकादमी एवं 4109/अकादमी, दिनांक-30.09.2021 निर्गत किया गया है। इस कारण इन चारों को अगले प्रशिक्षण सत्र के प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है एवं अगले प्रशिक्षण सत्र के प्रशिक्षुओं के सत्रांत परीक्षा में अपने अनुतीर्ण विषयों की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी।

इसमें अपर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर का अनुमोदन प्राप्त है।

  
सहायक निदेशक(प्रशासन),  
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को कृपया सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ।
3. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक, को कृपया सादर सूचनार्थ।
4. संबंधित प्रशिक्षु पु0अ0नि0 को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचनार्थ।

  
सहायक निदेशक(प्रशासन),  
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।